मसौदा रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दी गई है। रिपोर्ट में गरीबी को दूर करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों और तमाम जरूरतों को बताया गया है, लेकिन स्पष्ट तौर पर गरीबी रेखा तय पर गठित टास्क फोर्स का नेतृत्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया कर रहे थे, जिसमें राज्यों के अधिकारी भी शामिल थे। अधिकारी के मुताबिक हाल ही में प्रधानमंत्री को भेजी गई रिपोर्ट

पहलुओं का स्प
अधिकतर राज्य
जताई है। गौरतल
ने गरीबी रेखा त
समूह बनाकर शु

असोला वन्यजीव विहार मामले में केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली स्थित असोला वन्यजीव विहार के आस-पास पर्यावरणीय अनुमति के बिना पचास से भी ज्यादा विकास परियोजनाएं शुरू किए जाने के मसले पर केंद्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने 14 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक सभी से जवाब मांगा है।

जस्टिस स्वतंतर कुमार की अध्यक्षता वाली एनजीटी पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता डॉ.डीवी सिंह की ओर से पेश हुए वकील गौरव बंसल ने कहा कि असोला वन्यजीव विहार के करीब बड़ी तादाद में परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसके लिए समुचित और अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरी लेना तक जरूरी नहीं समझा गया है। वकील ने पीठ को बताया

कार्रवाई

- तीन राज्यों को भी नोटिस जारी, एनजीटी ने 14 सितंबर तक सभी से जवाब मांगा
- बिना पर्यावरणीय अनुमति के शुरू हुई विकास परियोजनाओं पर दिया आदेश

कि दिल्ली स्थित विहार उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर स्थित है। एनजीटी ने याचिका पर सहमति जताते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई से पहले जवाब देने का कहा, साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी निर्धारित समय में जवाब तलब किया। गौरतलब है कि याचिका में बिना अनुमति के शुरू की गई परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की है।

शाह के
फंसने क

पटना। भाजपा के
शाह के पटना के
घटना की जांच के
किया गया है।
आयोग में
सचिवालय वि
शिशिर सिन्हा ब
21 अगस्त क
अध्यक्ष अमित
अतिथिशाला की
इस घटना की जां
ने बुधवार को एव
किया।
भवन निर्माण
डॉ. दीपक प्रसाद
बनाए गए हैं।
अमृत और एड
कुमार आयोग
आयोग दो बिंदु
करेगी। पहला लि
और दूसरा भवि
इसके लिए सुझा

रेप पीड़िता की मदद करेगा प्रशासन

जमशेदपुर। जिला प्रशासन ने नक्सली गुलाछ मुंडा के हवस की शिकार बनी गुड़ाबांदा के जियान गांव की पीड़िता को समेकित योजनाओं के तहत सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की है।

डीडीसी विनोद कुमार ने बुधवार को उपायुक्त कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि पीड़िता को धोती-साड़ी, कंबल, 50 किलो चावल, 15 दिनों में पांच डिसमिल जमीन, एचसीएल द्वारा चापाकल, कुआं का निर्माण, सामूहिक शौचालय, एचसीएल द्वारा बच्चे के लिए खिलौना से लेकर घर का सामान खरीदने के लिए 10 हजार रुपये नकद मिलेंगे तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से उसे जल्द जोड़ा जाएगा।

जल्द सुलझ जाएगा शिक्षक भर्ती विवाद

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के जूनियर हाईस्कूलों में गणित व विज्ञान के 29,334 शिक्षकों की भर्ती का विवाद अगले सप्ताह सुलझने के आसार बन गए हैं। हाईकोर्ट ने इस भर्ती को लेकर इलाहाबाद व लखनऊ बेंच में लंबित सभी याचिकाओं पर आठ सितम्बर को एक साथ सुनवाई करने को कहा है।

कोर्ट ने कहा कि सहायक अध्यापकों की भर्ती पर अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए, इसलिए इस भर्ती से जुड़ी सभी याचिकाओं को एकसाथ सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया जाए। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड एवं न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने अजीत यादव आदि की विशेष अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे व जीके सिंह, एडवोकेट अनूप त्रिवेदी व विभू राय को सुनकर दिया।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

साप्ताहिक

सुरेश प्रभु
SURESH PRABHU

सत्यमेव जयते

प्रिय रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य गण,

आप सभी को मेरी ओर से रेलवे
दिवस (29 अगस्त) पर हार्दिक बधाई

रेलवे सुरक्षा बल अपनी स्था
नये आयामों को पार करता हुआ उस
इसकी गणना भारत के अग्रणी सुरक्षा
सुरक्षा बल रेल यात्रियों व उनके स
सभी क्षेत्रों में अपनी सुरक्षात्मक रि
सुचारू रूप से कर रहा है। रेल महिल
अपराधों के प्रति संवेदनशीलता को ध
द्वारा अपराधियों के विरुद्ध निरन्तर
फलस्वरूप सामाजिक वातावरण औ
विकास में सहायक हुआ है।

मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण वि
भविष्य में भी अपने दायित्वों का निर्वह
रहेंगे।

HT

एचटी मीडिया लिमिटेड

सीआईएन: L22121DL2002PLC117874

पंजीकृत कार्यालय: हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस

18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 001

फोन: +91-11-66561608, फैक्स: +91-11-66561445

वेबसाइट: www.htmedia.in ई-मेल: corporatedept@hindustantimes.com

वार्षिक आम बैठक (AGM) का नोटिस और रिमोट ई-वोटिंग जानकारी

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि :

(1) कम्पनी के सदस्यों की अगली वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.), शुक्रवार, **25 सितम्बर 2015 को पूर्वा. 11.00 बजे श्री सत्य साईं इंटरनेशनल सेंटर, प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003** में ए.जी.एम. के नोटिस में निर्धारित अनुसार, साधारण और विशेष कारोबार को सम्पादित करने के लिए होगी।

ए.जी.एम. को आयोजित करने का नोटिस, साथ में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 ('अधिनियम') के अधीन विवरण और वित्तीय वर्ष 2014-15 की कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट और खाते, कम्पनी के सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर अनुमत्य विधि से प्रेषित कर दी गई है। ए.जी.एम. का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट्स और खातों के प्रेषण को 28 अगस्त, 2015 को पूरा कर लिया गया है।

ए.जी.एम. का कथित नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को 31 अगस्त, 2015 को ई-मेल द्वारा भेजी गयी है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से आलेख्यों को प्राप्त करने का निर्णय लिया है। यह कम्पनी की कॉर्पोरेट वेबसाइट यानी **www.htmedia.in** पर भी उपलब्ध हैं। कोई भी ऐसा सदस्य जो नोटिस/वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति प्राप्त करना चाहता है, **einward.ris@karvy.com** पर कम्पनी के आर.टी.ए. को लिख सकता है।

(2) अधिनियम की धारा 91, साथ में पठित कम्पनी अधिनियम (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमों, 2014 के नियम 10 का अनुपालन करते हुए, **कम्पनी के सदस्यों की पंजिका और शेयर हस्तांतरण बहियां**, ए.जी.एम. में घोषित किए गए लाभांश, यदि कोई होता है, के लिए सदस्यों की हकदारी सुनिश्चित करने हेतु, **शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2015 से शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2015 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी।** भौतिक रूप से धारित शेयरों के संबंध में, लाभांश उन सदस्यों को दिया जाएगा, जिनके नाम शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2015 को सदस्यों की पंजिका में अंकित होंगे। इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में, लाभांश का भुगतान कथित प्रयोजन हेतु डिपॉजिटरी द्वारा प्रदान किए गए लाभकारी स्वामित्व विवरण के आधार पर किया जाएगा।

(3) अधिनियम की धारा 108, साथ में पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमों, 2014 के नियम 20 और स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता अनुबंध के खंड 35बी का अनुपालन करते हुए, कम्पनी अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (यानी ए.जी.एम. के स्थान के अलावा अन्य स्थान से किसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को प्रयोग करते हुए वोट डालने की सुविधा) के माध्यम से ए.जी.एम. के नोटिस में निर्धारित साधारण और विशेष कारोबार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोट करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड ('कार्वी') को कम्पनी द्वारा रिमोट ई-वोटिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया ए.जी.एम. के नोटिस में वर्णित की गई है।

(क) कम्पनी के केवल वे सदस्य जिनके भौतिक या डिमैटिरियलाइज्ड स्वरूप में शेयर हैं, जैसा भी हो, कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2015 को रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने या ए.जी.एम. में वोट डालने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

(ख) रिमोट ई-वोटिंग सुविधा मंगलवार, 22 सितम्बर 2015 (प्रातः 9.00 बजे-सर्वर समय) से शुरू होकर गुरुवार, 24 सितम्बर 2015 (सायं 5.00 बजे-सर्वर समय) तक होगी। उसके बाद कार्वी द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल निर्योग्य कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट दे दिया जाता है तो बाद में वह सदस्य उसमें परिवर्तन करने हेतु अनुमन्य नहीं होगा।

(ग) इसके अलावा, वे सदस्य जो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट देकर अपने अधिकार का प्रयोग कर चुके हैं ए.जी.एम. में उपस्थित हो सकते हैं किन्तु उस जगह दोबारा वोट देने के लिए वे अनुमन्य नहीं होंगे।

कम्पनी ए.जी.एम. में मतदान पत्र के जरिए वोट देने की सुविधा भी प्रदान कर रही है। बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्य जिन्होंने पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया है, बैठक में वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

कोई भी व्यक्ति जो बैठक के नोटिस के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 18 सितम्बर 2015 को शेयर धारित करते हैं, evoting@karvy.com में अपना अनुरोध भेजकर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड को प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया, ए.जी.एम. के नोटिस में भी प्रदान की गई हैं, जो कम्पनी की वेबसाइट तथा कार्वी की वेबसाइट दोनों पर उपलब्ध हैं। यदि सदस्य पहले ही कार्वी ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म में पंजीकृत है तो वे रिमोट ई-वोटिंग के जरिए वोट देने के लिए मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग से जुड़े किसी भी प्रश्न हेतु, सदस्य कृपया कार्वी की वेबसाइट **https://evoting.karvy.com** पर उपलब्ध हेल्प एण्ड FAQ's सेक्शन पर जा सकते हैं या कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (इकाई: एचटी मीडिया), कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 व 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगम्पल्ली मंडल, हैदराबाद-500032 (भारत), फोन: +91-40-6716 2222, फैक्स: +91-40-2300 1153, ई-मेल आईडी: einward.ris@karvy.com में श्री श्रीकृष्णा पी., प्रबंधक से सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते एचटी मीडिया लिमिटेड

ह०/-

(दिनेश मित्तल)

ग्रुप जनरल काउन्सल एवं कम्पनी सचिव

दिनांक: 2 सितम्बर, 2015

स्थान: नई दिल्ली